मु० नं० 88/2022 (दावा)

12.07.24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा दावा इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम महवा जिला दौसा की आराजी खेवट खतौनी खाता 358 के खसरा नम्बर 594 रकबा 0.09हे०, 597 रकबा 0.46हे०, 595 रकबा 0.05हे०, 596 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हैक्टर जिसके साविक ख० नं० 240 व 241 हैं। दावा वादीगण तलबी में जेरकार है।

उक्त खसरा नम्बर 240 व 241 स्थित ग्राम महवा का वाद पत्र मु० नं० 61/1991 उनवान दौलतराम बनाम रामजीलाल दिनांक 24.07.1993 को न्यायालय हाजा से डिक्री किया जाकर वादी दौलतराम पुत्र माना कीर निवासी महवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं प्रतिवादी रामजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये। इसके बाद प्रतिवादी रामजीलाल के वारिसान द्वारा उक्त डिक्री को निरस्त किये जाने बावत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा०दी० पेश किया जिसे दिनांक 29.05.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जा चुका है।

अतः उक्त विवादग्रस्त आराजी का दावा पुनः ओमप्रकाश बनाम धन्नालाल मु० नं० 88/2022 की न्यायिक दृष्टि से सुनवाई किया जाना उचित नहीं होगा। विवादग्रस्त आराजी का पूर्व में दावा डिक्री किया जा चुका है तो पुनः उसी विवादग्रस्त आराजी पर कोई भी निर्णय किया जाना कानूनन गलत है। यदि प्रतिवादी को उक्त निर्णय से संतुष्टि नहीं थी तो अन्य दीगर न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। इसलिये वादी का यह वादपत्र चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा